



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. : 938 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 938
विषय / Sub : कार्ट्रिज अनलॉकिंग (सेक्शन सन्दर्भ सं.: 312के/90-3)
Cartridge Unlocking (Sec. Ref. No. 312K/90-3)

यह घोषित किया जाता है कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (ए आर डी ई), पाशन, पुणे – 411 021 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "कार्ट्रिज अनलॉकिंग" (सेक्शन सन्दर्भ सं.: 312के/90-3) को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-938, दिनांक 31 दिसम्बर 2001, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 938 जारी किया गया था। तदुपरांत यह सन्दर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-938/2आर दिनांक 04 अगस्त 2010 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2015 तक थी।

This is to state that the "Cartridge Unlocking" (Sec. Ref. No. 312K/90-5), designed, developed and manufactured by Armament Research & Development Establishment (ARDE), Pashan, Pune – 411 021 was issued with Type Approval No. : 938 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-938, dated: 31st December 2001. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-938/2R dated: 04th August 2010 with validity up to 30th June 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (ए ए), सेमिलैक, पुणे – 411 021, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (AA), Pune – 411 021, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए- 938, दिनांक 31 दिसम्बर 2001 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-938, dated: 31st December 2001 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the Type Approval, SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.


4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-938/3R

दिनांक / Date : 03 January 2019

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856





पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)

Chief Executive (Airworthiness)